संख्या- 33/2021/I/116553/2021/71-4002(002)/4/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के कार्मिकों के वेतन एवं गैर वेतन मद की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 18/2021/62745/71-4-2021 दिनांक 07-04-2021 का कृपया सन्दर्भ् ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कार्मिकों के वेतन एवं गैर वेतन मद की वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित जारी शासनादेश दिनांक 07-04-2021 की प्रतिलिपि में क्रम संख्या-4 पर कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को निर्देशित किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 जारी जारी पत्र संख्या एम0ई0/बजट/2021-22/12 दिनांक 07-04-2021 के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय को धनराशि आहरण मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ से किया जाना है। विश्वविद्यालय का धनराशि आहरण वितरण अधिकारी कोड शासन द्वारा कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ पर ही आवंटित है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कार्मिकों के वेतन एवं गैर वेतन मद की वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित जारी शासनादेश दिनांक 07-04-2021 की प्रतिलिपि में क्रम संख्या-4 पर कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है:-

1. शासनादेश संख्या- 18/2021/62745/71-4-2021 दिनांक 07-04-2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
2. शासनादेश संख्या- 18/2021/62745/71-4-2021 दिनांक 07-04-2021 की शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2
9. नोडल ऑफिसर/संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन
10. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।